अपील सूचना अधिकार संख्या 32/2018(RCMS: 2018/00085) हरपाल सिंह सुधन पुत्र श्री महताब सिंह जाति ब्राह्मण सिख साकिन चैम्बर नम्बर 5ए, कचहरी परिसर, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर बनाम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सतर्कता), श्रीगंगानगर

23.07.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री हरपाल सिंह स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने दिनांक 27.02.2018 की सूचना लोक सूचना अधिकारी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसकी सूचना उसे समय सीमा में उपलब्ध न होने के कारण उसने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है और अपीलार्थी ने प्रार्थना की है कि उसका आवेदन दिनांक 27.02.2018 स्वीकार किया जावे और विनिर्दिष्ट समय में सूचना उपलब्ध न करवाने के कारण प्रत्येक दिन के लिए 250/– शास्ति अधिरोपित की जावे।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी हरपाल सिंह ने एक आवेदन पत्र दिनांक 27.02.2018 को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न सूचना चाही थी:–

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी के दादा लछमन सिह वल्द सुरजन सिंह कौम ब्राह्मण सिख साकिन 22 एनपी थाना रायसिंहनगर के पास दिनांक 11.05.1961 को बंदूक की अनुज्ञप्ति थी। जो बंदूक व लाईसेंस उनके विरूद्ध थाना रायसिंहनगर में दर्ज एफ.आर.आर. नं. 34 दिनांक 09.05.1961 में जब्त किए गए थे। इस बंदूक को छुड़ाने के लिए प्रार्थी यह जानना चाहता है कि दिनांक 11.05.1961 को प्रचलित लाईसेंस किस तिथि को जारी/नवीनीकृत किया गया था व किस तिथि तक प्रचलित था तथा प्रार्थी को यह बताया जाए कि किस प्रकार के हथियार का लाईसेंस था और उस पर कौनसा हथियार चढ़ा हुआ था? इस प्रकार प्रार्थी को अनुज्ञप्ति का पूर्ण ब्यौरा दिया जाकर आयुधों के पृष्ठांकन को बताया जाए तथा यह लाईसेंस प्रार्थी स्वयं के नाम बनवाना चाहता है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु हो गई है, जिसका वारिस प्रार्थी है। प्रार्थी का चाचा (उम्र 80वर्ष) व चाचा के दोनों पुत्र प्रार्थी के नाम लाईसेंस बनवाने पर सहमत है। जिसका लाईसेंस प्रार्थी के नाम बनाए जाने की प्रक्रिया एंव फीस कृपया प्रार्थी को बताई जाए। प्रार्थी के चाचा व उसके पुत्र जम्मू–कश्मीर में निवास करते हैं, जो जम्मू–कश्मीर में लिखकर दे सकते है एवं राजस्थान नहीं आना चाहते है।

उक्त सूचनाओं के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी को अपने पत्रांक एफ.17(1)न्याय/2017/434–35 दिनांक 12.06.2018 से निम्न प्रकार सूचित किया गया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रार्थना पत्र के क्रम में लेख है कि आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत चाही गई सूचना के संबंध में लेख है कि वांछित सूचना सृजनात्मक/प्रश्नात्मक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत यह सूचना ही देय नहीं है जो सृजनात्मक/प्रश्नात्मक हो फिर भी आप कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली /अभिलेख का अवलोकन कर सकते है। वांछित सूचना अगर देय होगी तो नियमानुसार 02 रूपये प्रति पृष्ठ जमा करवाकर प्राप्त कर सकते है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यदि आप अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रतिउत्तर से संतुष्ट नहीं है तो आप प्रथम अपील प्राधिकारी, श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाए सृजनात्मक/प्रश्नात्मक हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा दिया गया उत्तर दिनांक 12.06.2018 सही है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है और अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को आदेश बहाल रखा जाता है। आदेश की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को भिजवाई जावे। अपीलार्थी को भी निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर